फा.सं.एफ.1/23(11)/2024-भ.-III

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली में सीधी भर्ती के आधार पर उपायुक्त (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/ वर्षा आधारित कृषि प्रणाली) के पद की दो रिक्तियां (अना.- 02)
विज्ञापन सं.	08/2024
रिक्ति सं.	24040802327

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो.)	**(क) शैक्षणिक:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में सस्य विज्ञान सहित कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या वानिकी या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री **(ख) अनुभव:** मृदा और जल संरक्षण या मृदा गुणवत्ता प्रबंधन या वर्षा आधारित या एकीकृत खेती और या मृदा सर्वेक्षण या समस्याग्रस्त मृदा सुधार या केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों या केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या कृषि विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्धसरकारी या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों में कृषि-वानिकी परियोजनाओं सहित परियोजना निर्माण में दस वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : अनिवार्य योग्यताओं में उल्लिखित विषयों में से किसी भी विषय में डॉक्टरेट डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

अपनाए गए मापदंड	• संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑन-लाइन आवेदन में भरी सूचना और आवेदनों के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। • आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। • संवीक्षा हेतु केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों को शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीद्वारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी

	अ.यो.-क और अ.यो.-ख के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। • कृषि वानिकी या कृषि विस्तार शिक्षा में मास्टर डिग्री को स्वीकार किया गया है। • अध्यापन पर संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया गया है। • भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिएं। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें समस्त अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो। • जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। • कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। **नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 24/07/2024 को अपलोड किए गए थे, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 05/08/2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

दिनांक 06/08/2024 तक 14 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन सभी की जांच की गई है। ई-मेल और अभ्यावेदनों का पुनःपरीक्षण ऑनलाइन आवेदनों, शैक्षणिक योग्यताओं और उनमें किए गए अनुभव संबंधी दावों, ओआरए के साथ प्राप्त समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में किया गया है। तदनुसार, अनुवर्ती टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

अनंतिमता के संबंध में प्राप्त हुए मेल				
क्रम सं.	अनुक्रमांक	ई-मेलों की संख्या	टिप्पणियां	प्रस्ताव
1	05, 41, 69	03	जमा किए गए दस्तावेज क्रम में हैं	**अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।**
अस्वीकृति – एलईक्यू-क के संबंध में प्राप्त मेल				

2	37	01	चूंकि समतुल्य योग्यताओं को स्वीकार नहीं किया गया है।	**अस्वीकृति की स्थिति बरकरार**
3	01	01	कृषि व्यवसाय अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री को स्वीकार किया गया है। तथापि, अनुभव संबंधी किया गया दावा, संगत नहीं है। अतः एलईक्यू-ख के तहत अस्वीकार किया गया	**अस्वीकृति की स्थिति बरकरार, एलईक्यू-क से बदलकर एलईक्यू-ख कर दिया गया है।**
अस्वीकृति – एलईक्यू-ख के संबंध में प्राप्त मेल				
4	10	01	उम्मीदवार के स्पष्टीकरण और किए गए दावे एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर पुनःविचार किया गया और अब संगत पाया गया।	**अब लघुसूचीबद्ध किया गया**
5	19, 30, 35, 48, 65	05	उनको ओआरए या अध्यापन में अनुभव या निजी संगठन में अनुभव के किए गए असंगत दावे के आधार पर अस्वीकार किया गया है, जो अपनाए गए मापदंडों और मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।	**अस्वीकृति की स्थिति बरकरार**
6	09	01	यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तथापि, ओआरए में किया गया दावा अ.यो-ख को सिद्ध नहीं करता और इसे इस चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, X-वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए) और मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए है।	**अस्वीकृति की स्थिति बरकरार**
अस्वीकृति – अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं, अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता के संबंध में प्राप्त मेल				
7	33	01	उम्मीदवार के संपूर्ण अनुभव के लिए वर्तमान नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक अद्यतन अनुभव प्रमाण-पत्र जमा किया गया है। हमें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।	**अब लघुसूचीबद्ध किया गया**
अस्वीकृति – अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं के संबंध में प्राप्त मेल				
8	75	01	दिनांक 02-01-2012 से 13-12-2016 तक का अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया गया	**अस्वीकृति की स्थिति बरकरार**

5. तदनुसार, संवीक्षा में निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

<u>संवीक्षा</u>

02 अनारक्षित रिक्तियां

मानदंड: अ.यो (क) + अ.यो (ख)
साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु

अनुक्रमांक:

02	05	07	08	10	14	17	18	22	26	29
32	33	38	39	41	47	49	50	64	68	69
72										

(23 उम्मीदवार)

एलईक्यू-क

अनुक्रमांक:

01	11	15	34	37	45	51	55

(08 उम्मीदवार)

एलईक्यू-ख
अनुक्रमांक:

03	04	06	09	12	13	16	19	20	21	24	25
27	30	31	35	36	40	42	44	46	48	52	53
54	57	58	60	61	62	65	66	67	70	73	74
76											

(37 उम्मीदवार)

अपूर्ण
अनुक्रमांक:

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	71, 75
अनुभव प्रमाण-पत्र दावे से मेल नहीं खाता	23, 43, 56, 63
अनुभव प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर/मुहर नहीं	28, 59
नियुक्ति/त्याग पत्र/तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/वेतन प्रमाण-पत्र/ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है।	

(08 उम्मीदवार)

इस संबंध में आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके **अनुक्रमांक** सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

संकेतक:

एलईक्यू-क – अनिवार्य योग्यता-क में कमी।

एलईक्यू-ख- अनिवार्य योग्यता-ख में कमी।

ई सी –अनुभव प्रमाण-पत्र।

परामर्शदाता/ उप सचिव (भ.-III)

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।